

आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर

आदेश पर गई  
कार्रवाई टिप्पणी  
आदेश

अभिलेख उपस्थापित,

मूल पंजी II / जमाबंदी पंजी एवं खतियान का अवलोकन किया गया। खाता सं० ५४ खतियान के अनुसार रैयती खाते की भूमि है। नियमानुसार इस भूमि पर भूमि सुधार अधिनियम की धारा 4h के तहत कार्यवाही नहीं की जा सकती है।

अतः राजस्व उपनिरीक्षक एवं अंचल निरीक्षक से प्राप्त प्रतिवेदन के आलोक में खाता सं० ५४ पर भूमि सुधार अधिनियम की धारा 4h के तहत प्रारंभ की गयी कार्यवाही बंद की जाती है।

अंचल अधिकारी  
तोरपा

जमाबंदी वाद सं० :- 18J

प्रश्नगत भूमि मौजा ..... रामेंद्र ..... खाता सं० ..... 48 ..... प्लॉट सं० ..... 16 .....  
रकबा ..... 1.75 एकर ..... से संबंधित है। यह प्लॉट आर०एस० खतियान में रैयती खाते की भूमि  
में है। उक्त वाद में प्लॉट सं० ..... 16 ..... खाता सं० ..... 48 ..... में

अंकित पाया गया। रैयती भूमि को अवैध नहीं माना जा सकता है।

अतः 4H की कार्यवाही समाप्त की जा सकती है।



राजस्व कर्मचारी



अंचल निरीक्षक